न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 89/2016

1 राधेश्याम पुत्र मालदास।

2 श्रवण पुत्र मालदास।

3 रामोतार पुत्र मालदास समस्त जाति स्वामी निवासीगण लालपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र मनीराम।

2 विजेन्द्र पुत्र मनीराम।

3 पवन पुत्र मनीराम।

4 नेमीचन्द पुत्र जगनदास।

5 रामनिवास पुत्र जगनदास।

6 नन्दलाल पुत्र जगनदास।

7 बजरंग पुत्र जगनदास।

8 मोहन पुत्र जगनदास।

9 रामचन्द्र पुत्र जगनदास।

10 दीपचन्द पुत्र लेखदास।

11 होशियार सिंह पुत्र लेखदास समस्त जाति स्वामी निवासीगण लालपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

13 बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

अपील विरूद्व निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
08.01.2016 उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बउनवानी
राधेश्याम वगैरह बनाम महेन्द्र वगैरह मुकदमा
नम्बर 100/2014

उपस्थिति :

1. श्री कमल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम दुलड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 100/2014 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने घोषणा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम लालपुर पटवार हल्का बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू की भूमि खसरा नम्बर पुराना 32, 269, 270 कुल किता 3 कुल रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा तथा खेत खसरा नम्बर 276, 278, 294, 277 कुल किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा में हरिदास की 1/2 हिस्से की जमीन में वादीगण का 1/4 हक हिस्सा है और उसी अनुसार वादीगण का 1/4 हक हिस्सा मानकर राजस्व रिकार्ड में संसोधन करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधी निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में पेश शुदा दस्तावेजात व बिना साक्ष्य के यह डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08.01.2016 को बिना अपीलान्टस की सुनवाई के तथा अपीलान्टस के दावे व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में आगामी तारीख पेशी 23.05.2016 नियत होने उपरान्त भी वाद वादी वाद कारण के अभाव में खारिज कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय के समक्ष कोई भी प्रकरण पेश होने पर वादी व प्रतिवादीगण यानि दोनों पक्षकारों को विधि अनुकूल सुनवाई का अवसर देकर तथा सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। लेकिन उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही यह निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त उनवानी दावे की समस्त ऑर्डरशीट का अवलोकन करने पर यह भी साफ है कि वादीगण का दावा वास्ते जबाब दरख्वास्त नियत था फिर भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए तथा नियत पेशी दिनांक 23.05.2016 से पूर्व ही दिनांक 08.01.2016 को जिस प्रकार से निर्णय सुनाया है वो काबिले निरस्त होने योग्य है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को सर्व प्रथम तब हुई जब दिनांक 07.04.2016 को रेस्पोडेन्ट नं. 3 द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में केवियट की सूचना मिलने पर उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी होने पर माननीय विचारण न्यायालय में अपने उक्त दावे की आदेशिका मय आदेश की नकले प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.04.2016 को आवेदन किया गया जिस पर नकले दिनांक 11.04.2016 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट को नकल मिलते ही शीघ्र अतिशीघ्र यह अपील पेश की जा रही है जो जानकारी मिलने के रोज से अन्दर मियाद पेश है। यदि फिर भी किसी कारण से अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद समाअत फरमाई जावें। अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण हेतु रिमांड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेह तलब किया गया प्रतिवादीगण 1 से 9 व 12, 13 की तामील सम्यक रूप से होकर प्राप्त जो शामील फाईल की गई। प्रतिवादी नं. 1 से 9 की ओर से वकील श्री विक्रम सिंह दुलड़ ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 08.08.2014 को प्रतिवादीगण की तामिल व उपस्थित होने की उपरान्त भी आज दिनांक तक जवाब दावा पेश नहीं किया व न ही वादी द्वारा शेष प्रतिवादी की तलबी पेश नही की व प्रतिवादी नं. 1 से 3 की अभिभाषक ने जवाब दावा पेश किया। अतः प्रतिवादी नं. 3 के द्वारा दिनांक 12.12.2015 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया व प्रतिवादी 12 ने जवाब दावे के रूप में आदेशिका पर अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता हो व राजस्व हानि नही हो तो कोई आपत्ति नहीं होना वर्णित किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली के गुणावगुण पर विवेचन कर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किये बिना, प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किये बिना, वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये बिना, वादी अपीलान्ट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर